

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

08 अगस्त 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या “उभरते बाजारों में भेल की प्रतिस्पर्धात्मकता” आज संसद में प्रस्तुत

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) भारत की सबसे बड़ी अभियांत्रिकी और विनिर्माण कम्पनी है जो अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों के लिए विस्तृत श्रृंखला के उत्पाद और सेवाओं हेतु डिजाइन, अभियांत्रिकी, विनिर्माण, निर्माण, परीक्षण, संस्थापन और सेवाओं में रत है। चूंकि 2010 को समाप्त दशक ने पर्यावरण परिवर्तन, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और नए प्रतिस्पर्धियों के उभरने के साथ संकुचित सुपर्दगी कार्यक्रमों के रूप में भेल को चुनौतियां दी हैं, अतः भेल के टर्नओवर में 2012-13 के बाद से तीव्रता से गिरावट आई और कम्पनी ने 2015-16 में पहली बार हानि दर्ज की थी। उभरते परिदृश्य में भेल की प्रतिस्पर्धात्मकता के महत्व को देखते हुए, 'उभरते बाजारों में भेल की प्रतिस्पर्धात्मकता' पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

विविधीकरण हेतु प्रयासों की अपर्याप्तता

2011-12 से 2015-16 के दौरान विद्युत क्षेत्र भेल के टर्नओवर का बड़ा (76.46 से 80.83 प्रतिशत) हिस्सा बना रहा। चूंकि कम्पनी ने नए/कम संचालित कारोबार क्षेत्रों में प्रभावी रूप से विविधीकरण नहीं किया था, इसलिए विद्युत क्षेत्र में मंदी के साथ इसके टर्नओवर और लाभकारिता दोनों में तीव्रता के साथ गिरावट आई थी। भेल का टर्नओवर जो 2011-12 में ₹ 49510

करोड़ था, 2015-16 में कम हो कर ₹ 26587 करोड़ हो गया था; जबकि 2011-12 में ₹ 7400 करोड़ का लाभ 2015-16 में ₹ 913 करोड़ की हानि में बदल गया था।

(पैरा 3.3.1)

भेल ने 2012-17 की अवधि के लिए विविधीकरण और नवीकरण पर केन्द्रित नीतिगत योजना लक्ष्य निर्धारित किए थे। तथापि, भेल ने परिकल्पित नीतियों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष-वार माईलस्टोन निर्धारित नहीं किए थे। भेल 2015-16 तक कोई नीतिगत योजना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तथा विशिष्ट लक्ष्यों के प्रति कमी 23.33 और 113.91 प्रतिशत के बीच थी।

(पैरा 1.3)

भेल प्रमुख विद्युत क्षेत्र, विशेष रूप से सर्कुलेटिंग फ्लूयिडाइज्ड बेड कम्बर्स्शन, गैस टर्बाइन, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स और 500 एमवीए इंटर कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर्स में तकनीकी अन्तर को पूरा नहीं कर सका। भेल 765 केवी सेगमेंट के गैस इन्सुलेटेड उप स्टेशनों में अवसरों का लाभ नहीं उठा सका जिसे ट्रांसमिशन लाईनों के लिए मार्गस्थ अधिकार आवश्यकता को कम करने के लिए और उप स्टेशनों के लिए भूमि की उपलब्धता में बाधाओं से उबरने के लिए तेजी से अपनाया जा रहा है।

(पैरा 4.2.1)

प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु अपर्याप्त प्रयास

यद्यपि भेल ने 13 मामलों में उत्पादन लागत से कम उदधृत किया था, उनमें से 11 लाभ मार्जिन के साथ निष्पादित किए जा रहे थे। अन्य नौ आदेशों के मामले में, आदेश की गई कीमतें उत्पादन लागत से 0.57 से 18.59 प्रतिशत तक अधिक थी, तब भी परियोजनाएं उच्चतर लाभ मार्जिन के साथ कार्यान्वित जा रहीं थीं। इससे पता चलता है कि भेल की विनिर्माण यूनिटों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बोलियों हेतु उपयोग किया गया लागतकरण डाटा वास्तविक स्थिति नहीं दर्शा रहा था और गंवाई गई निविदाओं के

मामले में भेल द्वारा उदधृत कीमतों को आगे व्यवस्थित किया जा सकता था, जो बदले में भेल की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि कर सकती थी।

(पैरा 5.2.1)

प्रतिस्पर्धा की तुलना में भेल 2015-16 के दौरान अन्तिम रूप दी गई चार निविदाओं (जिनमें टीजी घटक शामिल था) में से कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। भेल ने इन निविदाओं में एल-1 कीमतों से 4.36 से 73.85 प्रतिशत तक उच्चतर कीमतें उदधृत की थी।

(पैरा 5.5.1)

संचालन के स्तर के अनुसार श्रमबल का व्यवस्थीकरण मार्जिन, प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यवसायिक वृद्धि बनाए रखने के लिए अनिवार्य था क्योंकि श्रमबल की लागत कम्पनी के व्यय का महत्वपूर्ण घटक होता है। 2010-11 से विद्युत क्षेत्र में मंदी और निवेश भावनाओं में कमी के बावजूद, भेल ने कैलेंडर वर्ष 2011 और 2012 में 5844 कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के प्रति इसी अवधि के दौरान 9346 कार्मिकों की भर्ती की। इसके परिणामस्वरूप टर्नओवर की तुलना में कार्मिक लागत की प्रतिशतता में 2011-12 में 11.04 प्रतिशत से 2015-16 में 20.84 प्रतिशत तक की लगातार वृद्धि हुई।

(पैरा 5.5.3)

2012 से 2014 की अवधि में किए गए उपभोक्ता सर्वेक्षणों के अनुसार परियोजना निर्माण में भेल के निष्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ था। 'परियोजना प्रतिष्ठापन और प्रबंधन' कार्यों के 25 उप कार्यों में से 24 के संबंध में भेल के अपने प्रतिस्पर्धियों से कम अंक थे। भेल ने 2014 के बाद से उपभोक्ता सर्वेक्षण नहीं किए।

(पैरा 5.7.2)

भेल निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना को निर्धारित पूर्णता समय में पूरा नहीं कर सका। चयनित सभी 53 परियोजनाएं तीन से 84 महीने के विलम्ब से संस्थापित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं ने इन परियोजनाओं में से 37 के प्रति परिसमापन क्षतियों (एलडी) के लिए ₹1966.07 करोड़ की राशि रोक दी।

(पैरा 6.1.2)

प्राप्यों का प्रबंधन

भेल द्वारा आठ निजी परियोजना विकासकों के साथ किए गए ठेकों में प्रावधान था कि भेल को भुगतान क्रेडिट पत्र (एलसी) के माध्यम से जारी किया जाएगा। तथापि, यह पाया गया कि भेल ने ठेके के इस प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया और न केवल एलसी बनाए बिना आपूर्ति प्रारंभ की किन्तु निजी विकासकों की बार बार विफलता के बाद भी सामग्री की आपूर्ति जारी रखी। तदन्तर सभी आठ परियोजनाओं को 'ऑन होल्ड' घोषित कर दिया गया और इन परियोजनाओं में बकाया प्राप्य जमा राशि ₹2660.77 करोड़ हो गयी। इसके अलावा, इन परियोजनाओं से संबंधित ₹458.51 करोड़ का उपस्कर विभिन्न भेल यूनिटों में पड़ा हुआ है।

(पैरा 7.4.1)

विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भेल द्वारा प्राप्त आदेशों में निष्पादन गारंटी (पीजी) जांच और लम्बित कार्यों/पंच प्वाइंट की पूर्णता की सफलतापूर्वक समाप्ति पर ठेका राशि का अंतिम 5 से 10 प्रतिशत जारी करने का प्रावधान है। अतः यह अनिवार्य था कि भेल संस्थापन के तुरन्त बाद पीजी जांच करे और पंच प्वाइंटों को जल्दी से जल्दी दूर करे। किन्तु, 2011-16 के दौरान आरंभ की गई 29 थर्मल पावर परियोजनाओं की 52 यूनिटों में से, चालू करने के बाद सात से 50 महीने के विलम्बों के पश्चात जुलाई 2016 तक केवल 18 यूनिटों की पीजी जांच पूर्ण की गई थी। बाकी 34 यूनिटों के संबंध में पीजी जांच अभी पूरी की जानी है जबकि जुलाई 2016 तक उन्हें आरंभ हुए दो से 70 महीने बीत चुके थे। पावर परियोजनाओं के निष्पादन हेतु दिए गए ठेकों में अंतिम यूनिट के शुरू किए जाने के तीन महीनों के भीतर सुविधाओं के पूर्ण कर लिए जाने का प्रावधान है। तथापि, 2006-2007 में शुरू की गयीं परियोजनाओं के सम्बन्ध तक में भेल द्वारा पंच प्वाइंट/बकाया कार्य 31 मार्च 2016 तक भी पूर्ण नहीं किए गए थे। पीजी परीक्षण पूर्ण करने तथा बकाया कार्य/ पंच प्वाइंट दूर करने में विलम्ब के कारण वसूली नहीं जा सकी बकाया राशि पर ब्याज की हानि ₹1457.11 करोड़ थी।

(पैरा 7.4.5)

सिफारिशें

प्रतिवेदन में वर्णित लेखा परीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, उभरते बाजारों में भेल की प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- (i) भेल को आरएंडडी प्रारंभ कर अपने स्वयं के उत्पाद विकसित करने की आवश्यकता है ताकि वह अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सके। नए व्यवसायिक क्षेत्रों में तकनीकी संधि विकसित करने के लिए शीघ्र प्रयास किए जाने चाहिए।
- (ii) भेल यूनिटों के बीच प्रक्रियागत और प्रणालीगत सुधार और बेहतर समन्वय के लिए 'वन भेल' ईआरपी प्रणाली शीघ्र कार्यान्वित की जानी चाहिए।
- (iii) भेल को खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से अधिक आदेशों को अन्तिम रूप देने की आवश्यकता है। क्रय मांगपत्र से क्रय आदेश चक्र समय कम किया जाना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धात्मकता और इनपुटों की समय पर अधिप्राप्ति सुनिश्चित हो सके।
- (iv) भेल द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही योजना विकसित और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में गठित कार्यबलों की रिपोर्टों के अनुसार तथा उपभोक्ता सर्वेक्षणों के दौरान पहचाने गए प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उसके कमजोर पहलुओं को सुदृढ़ किया जा सके।
- (v) भेल की विनिर्माण यूनिटों और विक्रेता कार्यों दोनों के गुणवत्ता नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि चालू करने और वारंटी अवधि के दौरान उपकरणों की विफलता से बचा जा सके।
- (vi) भेल के वित्तीय हित, की सुरक्षा के लिए, विशेष रूप से निजी पार्टियों को, प्रेषण लेटर ऑफ क्रेडिट की स्थापना के प्रति किए जाने चाहिए। पीजी जांच की पूर्णता चालू करने और शेष पंच प्वाइंट की समाप्ति के तुरन्त बाद समयबद्ध तरीके से

उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के साथ समन्वय सहित करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

- (vii) राजस्व बिलिंग और ऋणी प्रबन्धन प्रणाली को मजबूत करने और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि समय पर बिलिंग और राजस्व संग्रहण सुनिश्चित किया जा सके।

उपरोक्त सिफारिशों पर जून 2017 को हुई एक्ज़िट कांफ्रेंस में चर्चा की गयी और मंत्रालय/भेल ने आवश्यक कार्यवाही हेतु सिफारिशें नोट कीं ।

